


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16-03-2023	<p>पाबुराम सुथार बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 56/2023 (353305714079886)</p> <p>अपीलार्थी पाबुराम सुथार पुत्र कालूराम निवासी सुथारों का बास, ग्राम हरियाढाणा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.12.2022 में (1) EWS सेंटरल के आवेदन जो सरकार ने बनाये, के प्रारूप की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्प.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्प.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 510 दिनांक 03.03.2023 सूचनार्थ पत्र मय दी गई सूचना की प्रतियां प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त सूचनार्थ पत्र से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को अपील दायर होने के पश्चात् सूचना विलम्ब से दी गई तथा इस कार्यालय द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही जाने के बावजूद मात्र सूचनार्थ पत्र भेजा गया, जो विधिक प्रावधानों का आत्मसात न करने का फल है अतः तहसीलदार पीपाड़शहर को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करें। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना भिजवाई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (रा.प.) </p>	